

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कोरबा (छ.ग.)

कलेक्ट्रेट परिसर प्रथम तल, e-mail id :- miningkorba@gmail.com

क्रमांक २२६ /खलि- /रेत/न.क .01/2019

कोरबा दिनांक २०/११/२०१९

## नीलामी अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में सूचना

निविदा क्रमांक कोरबा -03-21.10.2019

**विषय :-** छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के तहत रेत खदानों का उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु नीलामी अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

**संदर्भ :-** निविदा आमंत्रण हेतु कार्यालय का पत्र क्र. 112 कोरबा दिनांक 21.10.2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि जिला कोरबा अंतर्गत रेत खदान समूहों के आबंटन हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 112/खलि-2/रेत/2019 कोरबा दिनांक 21.10.2019 के माध्यम से बंद लिफाफा में बोली आमंत्रित की गई थी। उक्त नीलामी (रिवर्स आक्शन) के संबंध में निर्धारित समय में रेत खदान समूह कोरबा Q (आमाटिकरा), तहसील - पोडी उपरोड़ा में केवल एक ही बोली प्राप्त होने के कारण उक्त रेत खदान समूह के निविदा अवधि को दिनांक 21.11.2019 से दिनांक 27.11.2019 तक (07 दिवस) तक वृद्धि किया जाता है एवं नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) खोलने तथा तकनीकी अर्हताधारी बोलीदारों की घोषणा करने की तिथि 28.11.2019 को निर्धारित की जाती है। जिसकी विस्तृत जानकारी [www.chhattisgarhmines.gov.in](http://www.chhattisgarhmines.gov.in), <https://korba.gov.in> तथा जिला कार्यालय कोरबा (खनिज शाखा)/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया गया है। निविदा आमंत्रण हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 112 दि. 21.10.2019 नियम, शर्तें एवं दिशा निर्देश यथावत रहेगी।

NIC.

क्रमांक २२७-३३ /खलि- /रेत/न.क .01/2019  
प्रतिलिपि :-

उप-संचालक (खनि प्रशा.)  
कार्यालय कलेक्टर कोरबा (छ0ग0)  
कोरबा दिनांक २०/११/२०१९

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा करने हेतु प्रेषित।
2. जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी (NIC) जिला कोरबा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं जिले के पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोरबा/कटघोरा/पाली/पोडी-उपरोड़ा, करतला
4. संबंधित ग्राम पंचायत ..... जिला कोरबा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु प्रेषित।

उप-संचालक (खनि प्रशा.)  
कार्यालय कलेक्टर कोरबा (छ0ग0)